

फर्द अहकाम


(नियम 26)

अज अदालत- राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर मुकाम सवाई माधोपुर

इन्द्रबाई बनाम कमलेश वगै०

किस्म मुकदमा 225 आर टी एक्ट.....अपील संख्या 40/2025

GCMS NO 2025/-----

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.05.25	<p>अपील श्री हंसराम गुर्जर अधिवक्ता ने पेश की । अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत अधिवक्ता को स्थगन प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय सुना गया। अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम के प्रकरण संख्या 35/23 मे पारित अंतरिम आदेश दिनांक 15.6.23 उनवानी कमलेश बनाम इन्द्रबाई वगै० के विरुद्ध पेश की गई। अपीलांत का कथन रहा कि विवादित आराजीयात संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है जिसके बंटवारे के संबंध मे वाद अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है। जिसमे विवादित भूमि का विधिवत बंटवारा होने पर हिस्से तय किये जावेगे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश की आड मे अपीलांत अपने हिस्से की आराजीयात के अपने अधिकारो से बचित हो रहा है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एक पक्षीय आदेश को निरस्त फरमाया जावे। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पों० की एक पक्षीय बहस सुनकर अंतरिम आदेश जारी किया गया है। जिसे लगभग 1 वर्ष 10 माह का समय व्यतीत हो चुका है। परन्तु प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण नही हो पाया है। जिससे अपीलांत के हक एवं अधिकार प्रभावित हो रहे है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम के प्रकरण संख्या 35/23 उनवानी कमलेश बनाम इन्द्रबाई मे पारित अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 15.6.23 को अपास्त किया जाना उचित प्रतीत होने से अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 35/23 मे उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र के तीनों बिन्दुओ का विवेचन करते हुए अंतिम निर्णय पारित करे।</p> <p>निर्णय सुनाया गया। पत्रावली मे आवश्यक कार्यवाही कर दाखिल रिकार्ड होवे।</p> <p> राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर</p>	

